[illegible]दीश प्रसाद बनाम दीपू

प्रार्थना पत्र (खा.सु.)संख्या 13 / 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19-01-2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण दिनांक 06.02.2018 से लम्बितउ है। प्रकरण में प्रारम्भ से ही अप्रार्थी के सही पते के अभाव में तलवी नहीं हो सकी है। कई बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को लिखे जाने के उपरान्त अप्रार्थी के सही पते की रिपोर्ट के संबध में श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर ने अपने पत्र कमांक/एफएसए/2019/188 दिनांक 17.10.19 के द्वारा अवगत कराया है कि दीपू अपनी डेयरी बन्द कर किराये के स्थान को खाली करके अन्यत्र कही चला गया है जिसकी जानकारी वहां पर किसी से भी प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के सही पते की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत बाद को सिद्ध करने/नियमानुसार न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्ण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण विधिवत पैरवी/कार्यवाही के अभाव में प्रकरण सिविल प्रकिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य रहता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं** **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,** **(ए.डी.एम.) भरतपुर**	